Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 36-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2018 (BHADRA 13, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अगस्त, 2018

संख्या 3244–3249.– चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट परातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों तथा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारको का पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है ;

इसलिए, अब पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 1,2,3,4,5 तथा 6 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात सरकार ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा, प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाये, विचार करेगी:–

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिले का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
लौहारू किला	लौहारू किला	भिवानी	भिवानी	725 727 728 729	कनाल – मरला 64 – 18	हरियाणा सरकार	लौहारू किला ठाकुर अर्जुन सिंह द्वारा वर्ष 1570 ई० में बनाया गया था। राव शेखा ने मूल रूप में शेखावती को 33 ठिकनों में विभाजित किया था, जिनमें लौहारू किला 33 वां था। यह तब एक छोटा सा गांव था जो एक कच्चा तथा मिट्टी का किला था और 1800 ई० तक ऐसा रहा। निर्माण के वर्षों में लौहारू किला वास्तूकला का एक दिलचस्प मिश्रण था। किले के दक्षिण हिस्से में दीवान–ए–खास और शीशमहल के दर्शन कक्ष शामिल है जिनमें मुगल राजपूत शैली का विवरण है। दक्षिण हिस्से के केन्द्रीय भाग में एक बड़ा विक्टोरियन शैली का सभागार और भोज कक्ष शामिल था। दक्षिण हिस्से के दाहिने तरफ रसोईघर सहित जनाना महल शामिल था। दक्षिण हिस्से के बाएं तरफ पूरी तरह से मुगल वास्तुकला का प्रयोग किया गया था। पूर्वी हिस्स दिल्ली हवेली शैली में निर्मित किया गया था।

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व तथ संग्राहलय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

Notification

The 20th August, 2018

No. 3244-3249.— Whereas, the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains and ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 1 of Schedule given below, to be protected monuments and the archaeological sites and remains specified in columns 1,2,3,4,5 and 6 of said Schedule to be protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or

suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Archaeology and Museums Department, Chandigarh from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified:-

Schedule

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/city	Name of tehsil and district	Revenue Khasara/Kila number under protection	Area to be protected	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Loharu Fort	Loharu Fort	Bhiwani	Bhiwani	725 727 728 729	Kanal-Marla 64 - 18	Government of Haryana	Loharu Fort was built in the year 1570 CE by Thakur Arjun Singh. Rao Shekha had originally divided Shekawati into 33 *thikanas,* of which Loharu Fort was 33rd. It was then a small village with a *kuccha*, a mud fort, and stayed as such until 1800 A.D. Over the years of the constructions Loharu Fort came to include an interesting bland of architecture. The south wing of the fort contained the Diwan-e-Khas and the *Sheesh Mahal* or The Room of Mirrors, which has the Mughal/Rajput style detail. The central part of the south-wing contained a large Victorian style audience chamber and banquet hall. The right side of the south-wing consisted of the *Zanana Mahal* along with the kitchens. The left side of the south-wing was purely Mughal architecture. The east-wing was executed in the Dehli Haveli style.

DHEERA KHANDELWAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Archaeology and Museums Department.

56512—C.S.—H.G.P., Chd.